रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

ई मेल-: <u>ro.ajmer@ibm.gov.in</u> No RAJ/Nagaur-25/LST-6



Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.

Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

Date: 4/10/2016

प्रेषित Agent, M/S Ultratech Cement Ltd.,

(Unit: Birla White), D-7, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, Pin Code- 342003

विषयः राजस्थान राज्य के **Nagaur** जिले में स्थित आपकी Rajshree Mine no I Limestone खान २३२.८० हैक्टे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 38RAJ20005)

महोदय.

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.09.2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं। नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- The Mining operations had not been carried out in accordance to the mining plan approved on 20/1/2012 up to the extent as under.
 - 1) As per Para 4.(C), page 23, the stripping ratio of 1:1.09 had been proposed, but during the Inspection it was observed to be 1:0.53, which represents that proporational development of pits is not proper.
- 15(2) The bench in overburden has not been kept advanced so as to avoid the interference with the working of mineral bench.
- The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis a –vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
 - 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अंतर्गत
 - (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच.सी.शर्मा) विर सहायक खान नियंत्रक कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर। 2) खनि अभियन्ता, Nagaur को आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरि सहायक खान नियंत्रक कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यरो क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय माखुपुरा औदयोगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

ई मेल-: ro.ajmer@ibm.gov.in

No RAJ/Nagaur-25/LST-6



Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Aimer -305002 Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

Date:

प्रेषित Agent, M/S Ultratech Cement Ltd.,

(Unit: Birla White), D-7, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, Pin Code- 342003

विषय: राजस्थान राज्य के Nagaur जिले में स्थित आपकी Rajshree Mine no I Limestone

२३२.८० हैक्टे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 38RAJ20005)

महोदय.

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.09.2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं। उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

12(3) read The Mining Plan of the mine was approved on 20/1/2012 Which is Valid till 31 with rule March 2017. The mining plan has not been reviewed at an interval of five years 17(2) of & has not been submitted to the Regional Controller of Mines at least one MCR 2016. hundred eighty days prior to expiry of Plan Period.

- 15(2) The bench in overburden has not been kept advanced so as to avoid the interference with the working of mineral bench.
- 23E(2)The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a –vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
 - 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
 - (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच.सी.शर्मा) वरि सहायक खान नियंत्रक कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

- मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
 2) खिन अभियन्ता, Nagaur को आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरि सहायक खान नियंत्रक कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो